खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री धिरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री धिरेन्द्र कुमार उपस्थित।

13.07.2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में अवर सचिव श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद श्री धिरेन्द्र कुमार (कोटि क्रमांक–96/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, बिस्फी, मधुबनी सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के द्वारा दायर किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–3496/खाद्य, पटना, दिनांक–08.12.2025 जिसमें प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के आलोक में तीन (03) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित किया गया, के विरूद्ध प्रश्नगत् पदाधिकारी द्वारा अपीलवाद दायर किया गया। यह अपीलवाद बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 के प्रावधान के तहत दायर किया गया है।

अपील अभ्यावेदन में बताया गया कि शून्य कार्यालय दिवस (दिनांक–29.08.2025 से दिनांक–10.09.2025) के दौरान किये गये निरीक्षण के आधार पर इनके विरूद्ध मुख्यतया चार (04) आरोपों पर कार्रवाई की गयी :–

1. चालू माह के लिए कुल 21 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना :– इस विषय पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह सितंबर, 2025 के खाद्यान्न का वितरण चक्र 30 सितंबर, 2025 था। शून्य कार्यालय दिवस दिनांक–29.08.2025 से दिनांक–10.09.2025 तक होने के कारण कुछ लाभार्थियों द्वारा माह सितंबर, 2025 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह भी रेखांकित किया गया कि लाभार्थियों ने यह नहीं कहा गया है कि उन्हें माह सितंबर का खाद्यान्न नहीं मिला है अपितु उनके द्वारा यह कहा गया कि माह सितंबर, 2025 का खाद्यान्न उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।
2. 34 लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किया जाना :– इस विषय पर अपीलार्थी के द्वारा यह बताया गया कि उन्हें जब भी शिकायत प्राप्त हुये हैं उनके द्वारा कार्रवाई करने हेतु सक्षम पदाधिकारी (अनुज्ञापन पदाधिकारी) को अवगत कराया जाता रहा है। इस विषय पर उनके द्वारा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, बिस्फी के पत्रांक–218 दिनांक–17.08.2025 का उल्लेख

किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनका काम निरीक्षणों के प्रतिवेदनों को अनुज्ञापन पदाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाना है।

3. एक लाभुक को निकृष्ट गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किये जाने के संबंध में :– आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि गुणवत्ता की जांच को सुनिश्चित करने के लिए सी०एम०आर० गोदाम में गुणवत्ता नियंत्रक होते हैं जिनका काम गुणवत्ता नियंत्रण का होता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि लगभग 2 लाख 38 हजार से अधिक उपभोक्ताओं में से मात्र एक उपभोक्ताओं द्वारा बिना साक्ष्य का यह आरोप लगाया गया है।

4. 77 स्टॉक में अंतर पाया जाना : इस विषय पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 50 जन वितरण प्रणाली दुकानों में किलो० में भंडार अंतरण मिला है। इसका कारण यह हो सकता है कि विक्रेताओं द्वारा नीचे ढाल कर रखे गये खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। इसलिए उतने कम मात्रा में भंडार अंतरण मिला। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि तीन (03) जन वितरण प्रणाली दुकानों (FPS ID–120700300400, 120700300209 एवं 120700300213) में निरीक्षण के समय PDS Parakh App पर ऑनलाईन e-PoS स्टॉक शून्य प्रदर्शित होने जबकि भौतिक रूप से भंडार में खाद्यान्न की मात्रा उपलब्ध होने के कारण एवं 2 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशालोक में भंडार विसंगति के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया गया, (थाना काण्ड सं0–66/2023 एवं थाना काण्ड सं0–56/2020)। इसके अलावा 5 अन्य जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से खाद्यान्न वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किये जाने हेतु आदेश की मांग उनके द्वारा कार्यालय के पत्रांक–106, दिनांक–26.04.2025, पत्रांक–112 दिनांक–30.04.2025, पत्रांक–122 दिनांक– 16.05.2025, पत्रांक–123 दिनांक–16.05.2025, पत्रांक–136 दिनांक–23.05.2025 के माध्यम से की गयी। पूर्व में भी इस आशय का पत्राचार अनुज्ञापन पदाधिकारी से किया गया। अन्य विक्रेताओं का भी निरीक्षण के क्रम में भंडार अन्तरण संबंधित मामला लगातार प्रतिवेदित किया जाता रहा है, जिसका आकलन PDS Parakh App पर माह जनवरी, 2025 से दर्ज निरीक्षण प्रतिवेदन पर भी देखा जा सकता है। निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी सह–अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित विक्रेताओं से कारण पृच्छा कर विधि–सम्मत कार्रवाई भी की गयी है। साक्ष्य स्वरूप आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, बिस्फी के पत्रांक–104 दिनांक–24.04.2023 एवं पत्रांक–162 दिनांक–26.06.2023, पत्रांक–114 दिनांक–08.05.2025 एवं Off line Inspection Report पत्र की छायाप्रति सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया।

उक्त तथ्यों एवं बचाव पक्ष के अभ्यावेदन में वर्णित तर्क के समीक्षोपरांत यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रश्नगत् आरोप शून्य कार्यालय दिवस के दौरान स्वयं के द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गठित किया गया। उनके द्वारा कई और दृष्टांत दिये गये जिनमें उन्होंने जाचोपरांत त्रुटि पाये जाने पर कई जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुशांसा किया है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–27 (2) 'ग' को दृष्टिपथ पर रखते हुये आरोप की गंभीरता एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा दिये गये बचाव बयान के आलोक में समानुपातिक दंड के सिद्धांत के तहत् ज्ञापांक–3496 खाद्य, पटना/दिनांक–08.12.2025 द्वारा तीन (03) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को सम्परिवर्तित करते हुए श्री धिरेन्द्र कुमार (कोटि क्रमांक–96/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, बिस्फी, मधुबनी को चेतवानी का दण्ड दिया जाता है तथा भविष्य में सचेष्ट रहने की हिदायत दी जाती है।

तदोपरांत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17/2025(खंड–VI)– 3951 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/07/2026

प्रतिलिपि–

1. जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर पूर्वी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. उप निदेशक (खाद्य), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री धिरेन्द्र कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–96/2024), आपूर्ति निरीक्षक, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, E-Mail ID : dkzpk5097@gmail.com, Mobile No. 8409642868 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/26

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17/2025(खंड–VI)– 3951 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/07/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव ।